

6- विद्यालय में गतिविधि का कार्यक्रम तैयार कर लिया जायेगी, इन्हें ही लागू कर दिया जायेगा।
7- विद्यालय में सफाई का कार्य सुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न कर लिया जायेगा।

8- विद्यालय में सभी छात्रों, छात्राओं के कक्षाओं में ब्रेक का किया जाना अनिवार्य होगा।

9- विद्यालय में सम्पन्न प्रतियोगिताओं/प्रदर्शनों/प्रतियोगिताओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

10- विभाग से कार्गिल कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

11- विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।

12- विद्यालय में समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर मविध्य निवृत्ति निधि की योजना लागू की जायेगी।

13- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है।
विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

14- विभागीय आदेशों/निर्देशों को अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जायेगी।

15- जिन विद्यालयों के शिक्षण कम कम है वह 10 स्कवायर फीट के विद्यालय के स्तर पर निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित मानक 25/25 की भाष के छात्रों का निमार्ण कराये।

अज्ञेय,

से सहायक शिक्षा निदेशक (वे. 8)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

मु. 0 नं. शिक्षा-त./ 40-44

199-2000 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनाार्थ एवं आदेश्यक

आवृत्त।

1- अवर सहायक शिक्षक (वे. 8) म. 0, इलाहाबाद

2- अवर सहायक शिक्षा परिषद, म. 0 प्र. 0, इलाहाबाद

3- सहायक शिक्षा अधिकारी - गौतमबुध नगर -

4- अवर सहायक शिक्षा अधिकारी -

5- शिक्षा अधिकारी/अवर शिक्षा अधिकारी -

6- अज्ञेय सहायक शिक्षा नि. 0 अधिकारी - गौतमबुध नगर -

7- अज्ञेय सहायक शिक्षा अधिकारी -

For Amar Educational Society

Ashish
Authorised Signatory

कार्यालय जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद ।

क्रां. सं. 279-81 / 1995-96 दिनांक 26 अक्टूबर 1995

प्रबन्धक,
अमर वैशिक स्कूल,
पिनकोड-2/भी संख्या 37, नौशहा (गाजियाबाद)

जिला मान्यता समिति की दिनांक 30-3-95 की बैठक में आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की स्थायी मान्यता के घोषणा पाया गया है। समिति द्वारा आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर पर स्थायी मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आप द्वारा दिये गये कितनी तथ्य को छिपाया गया तो समिति का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह प्रदत्त मान्यता की स्वीकृति को निरस्त करदे। विभाग द्वारा निर्गत नियमों/विनियमों/निर्देशों व आदेशों को मानने हेतु आप सर्वथा बाध्य होंगे। संस्था में नियुक्त शिक्षक/शिफ्टिंगों/सर्वे क्रेजी कर्मचारी को नियमानुसार अनुसूचित दिखाने हेतु प्रभावी कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करें।

00/9

सी.मति शर्मा महानगर
जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

पुनः सं. 79-81 / 1995-96 तद्व दिनांकित ।

संश्लेषण प्रतिलिपि निर्माणांकित की सेवा में तुम्हारे एवं आकाश कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1] उप विद्यालय निरीक्षण, गाजियाबाद एवं सचिव, जनपदीय मान्यता समिति, गाजियाबाद ।
- 2] सहायक शिक्षा निदेशक (वैशिक), प्रथम अण्डल, अरठ ।

सी.मति शर्मा महानगर
जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

For Amar Educational Society
Mandim
Authorised Signatory